दैनिक
# न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

**आवश्यक सूचना**

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्याससाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 | Postal Registration No-055/Raigarh DN CG | रायगढ़, बुधवार 28 अप्रैल 2021 | पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए | वर्ष-03, अंक- 207

### एक एंबुलेंस में रखे गए कोरोना मरीजों के 22 शव

**मुंबई(आरएनएस)।** महाराष्ट्र में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। इसी बीच बीड बीड जिले के अंबाजोगाई में एक एंबुलेंस की ह्दयविदारक तस्वीर सामने आई है। इस एंबुलेंस में पशुओं की तरह ठूंस-ठूंस कर 22 कोरोना मरीजों की लाशें रखी हुई थीं। इस अमानवीय तस्वीर के सामने आने के बाद लोगों में गुस्सा है। स्वामी रामानंद तीर्थ अस्पताल की दलील है कि उसके पास एंबुलेंस नहीं है। मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर शिवाजी शुक्र ने बताया कि अस्पताल प्रशासन के पास मुनासिब एंबुलेंस नहीं हैं, जिसकी वजह से ऐसा हुआ। उन्होंने कहा कि उनके पास पिछले साल कोरोना के पहले दौर में पांच एंबुलेंस थीं, उनमें से तीन को बाद में वापस ले लिया गया और अब अस्पताल में दो एंबुलेंस में कोरोना मरीजों को लाया और ले जाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कभी-कभी, मृतकों के संबंधियों को ढूंढने में समय लग जाता है। अधिकारियों का कहना है कि 22 में से 14 मरीजों की मौत शनिवार को हो गई थी जबकि बाकी की मौत रविवार को। 9 की मौत लोखंडी सवरगांव जंबो कोविड सेंटर में हो गई थी। इस घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। बता दें कि बीड जिले में कोरोना मरीजों की सेंया दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अंबजोगाई तालुका में स्थिति गंभीर है। इस वजह से यहां के स्वाराती अस्पताल पर भारी दबाव है, साथ ही पड़ोसी तालुकों के रोगियों को स्वाराती अस्पताल और लोखंडी सावरगाव कोविड केंद्र में भर्ती कराया जा रहा है।

### जवान ने खुद को गोली मारी, मौत

**श्रीनगर(आरएनएस)।** जम्मू-कश्मीर का रामबन जिले के एक शिविर में मंगलवार को एक सैनिक ने कथित रूप गोली मारकर आत्महत्या कर ली। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि घटना बीती रात करीब 2 बजे बनिहाल इलाके में सेना के ट्रांजिट कैंप में हुई। अधिकारियों ने बताया कि मृतक की पहचान कर्नाटक के असागेप्पा मदार के रूप में हुई है। वह बनिहाल के आर-सेंटर शिविर में तैनात थे। विस्तृत जानकारी की प्रतीक्षा की जा रही है।

### ऑक्सीजन की नहीं कमी, आपूर्ति व्यवस्था में हैं खामियां

**नई दिल्ली (आरएनएस)।** कोरोना महामारी की दूसरी लहर भारत में न केवल प्राणघातक रही है, बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं में बड़े स्तर पर मौजूद खामियां और कमियां भी सामने आ रही हैं। सबसे बड़ी कमी तरल मेडीकल ऑक्सीजन की हो रही है। पर ऐसा, क्यों हो रहा है, हालात क्यों बिगड़ रहे हैं? इसे समझने के लिए देश में तरल ऑक्सीजन के उत्पादन और उसे मरीज तक पहुंचाने की व्यवस्था को समझना होगा। इन्हें समय रहते दूर करके हजारों लोगों का जीवन बचाया जा सकता था, पर सरकार ने कदम उठाने में देर कर दी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार हाल तक भारत सालाना 7,127 मीट्रिक टन तरल ऑक्सीजन का उत्पादन कर रहा था। यह सामान्य समय में चिकित्सा व औद्योगिक दोनों उपयोग के लिए काफी था। महामारी ने चिकित्सा उपयोग में मांग चार गुना से भी ज्यादा कर दी। मिसाल के लिए 2019, यानी महामारी के पहले भारत को सलाना 750 से 800 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत थी। दूसरी लहर आने के बाद 12 अप्रैल को मांग 3,842 मीट्रिक टन हो गई। 10 दिन बाद यानी 22 अप्रैल को यह जरूरत 6,785 मीट्रिक तक जा चुकी थी।

### पूर्व सैनिकों की ईसीएचएस के 51 पॉलीक्लिनिक्स में संविदा पर अतिरिक्त कर्मचारियों की अस्थायी भर्ती को मंजूरी

**नईदिल्ली (आरएनएस)।** रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मौजूदा कोविड-19 संकट से निपटने के लिए देश भर के भीड़-भाड़ वाले 51 पूर्व सैन्यकर्मी अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ईसीएचएस) पॉलीक्लिनिक में अधिकृत कर्मचारियों के अतिरिक्त अनुबंध कर्मचारियों की अस्थायी भर्ती को मंजूरी दे दी है। इन ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक के लिए एक-एक चिकित्सा अधिकारी, नर्सिंग असिस्टेंट, फार्मासिस्ट, वाहन चालक और चौकीदार सहित अनुबंध कर्मचारियों को तीन महीने की अवधि के लिए सामान्य कामकाज के घंटों के इतर रात में काम करने के लिए स्टेशन मेयुलाय के माध्यम से काम पर रखा जाएगा। ये क्लीनिक इन शहरों में हैं: लखनऊ, दिल्ली कैंट (बीएचडीसी), बैंगलुरु (शहरी), देहरादून, कोटपूतली, अमृतसर, मेरठ, चंडीगढ़, जेमू, नई दिल्ली (लोधी रोड), सिकंदराबाद, आगरा, अंबाला, ग्रेटर नोएडा, गुरदासपुर, पुणे, त्रिवेंद्रम, जालंधर, कानपुर, गुड़गांव, गुड़गांव (सोहना रोड), होशियारपुर, मोहाली, चंडीमंदिर, इलाहाबाद, गाजियाबाद (हिंडन), पठानकोट, जोधपुर, लुधियाना, रोपड़, तरणतारन/पट्टी, कोलकाता, दानापुर (पटना), खड़की (पुणे), पालमपुर, बरेली, कोल्हापुर, योल, दक्षिण पुणे(लोहागांव), विशाखापत्तनम, जयपुर, गुंटूर, बैरकपुर, चेन्नई, गोरखपुर, पटियाला, नोएडा, भोपाल, कोच्चि, वेल्लोर और रांची।

# देश में कोरोना मामलों में आई गिरावट 3.23 लाख नए मरीज, 2,771 मौतें

**नई दिल्ली (आरएनएस)।** देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के कहर जारी है, लेकिन मंगलवार को बीते 24 घंटों में सामने आए दैनिक मामलों में हल्की गिरावट देखी गई। मसलन पिछले 24 घंटे में आए 3.23 लाख से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं, जबकि कोरोना संक्रमण के कारण 2,771 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में 3.23 लाख से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। एक दिन पहले सोमवार को 3.52 लाख से ज्यादा मामले दर्ज किए गए थे, जिसके बाद आज मंगलवार को 3,23,144 मामले दर्ज किए गए। यही नहीं कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा थी हल्का गिरा है। मंत्रालय के अनुसार देश में बीते 24 घंटे में 2,771 मरीजों की जान गई है, जबकि सोमवार को 2,800 से ज्यादा मरीजों ने इस खतरनाक वायरस के आगे अपना दम तोड़ा था। मौजूदा समय में देश में कोरोना वायरस से कुल 1,97,894 मरीजों की जान जा चुकी है। एक दिन में 3.23 लाख से ज्यादा मामलों के सामने आने के बाद कुल संक्रमित मरीजों की सेंया 1,76,36,307 हो गई है। वहीं एक दिन में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा भी बढ़ा है। सोमवार की तुलना में मंगलवार को कोरोना से 2.51 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हुए। देश में संक्रमण से कुल ठीक हुए मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 1,45,56,209 हो गया है।

**सक्रिय मामलों की संख्या में बढ़ोतरी**

इधर रोजाना संक्रमित मामलों के ज्यादा आने और रिकवर हुए मरीजों की सेंया कम आने की वजह से देश में कोरोना वायरस के सक्रिय मामलों में बढ़ोतरी हुई है। देश में 28,82,204 लोगों का इलाज चल रहा है। अमेरिका के बाद भारत में सक्रिय मामलों की सेंया सबसे ज्यादा है। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है। बीते करीब एक सप्ताह से कोरोना संक्रमण के 3 लाख से ज्यादा नए केस सामने आ रहे हैं। यूपी, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब समेत देश के ऐसे 8 राज्य हैं, जहां कोरोना संक्रमण के 1 लाख से ज्यादा एक्टिव केस हैं।

**वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ी**

देश में अबतक 14,52,71,186 लोगों को कोरोना का टीका लग चुका है। जनवरी से शुरू हुए वैक्सीनेशन कार्यक्रम के तहत अबतक 14 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन दी जा चुकी है। वहीं एक मई से कोरोना वैक्सीनेशन का तीसरा चरण शुरू हो जाएगा, जिसके तहत 18 साल की उम्र से ज्यादा लोगों को टीका लगाया जाएगा।

## चुनाव आयोग ने चुनाव नतीजों के बाद विजय जुलूसों पर पाबंदी

कोरोना संकट के मद्देनजर लिया गया अहम फैसला

**नई दिल्ली (आरएनएस)।** न्यायालय की फटकार के बाद केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने देश में कोरोना महामारी के गंभीर संकट के मद्देनजर चार राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश के विधानसभा चुनावों के नतीजों के आने के बाद विजय जुलूस निकालने पर मंगलवार को प्रतिबंध लगा दिया। असम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल और पुडुचेरी में दो मई को मतगणना होगी। पश्चिम बंगाल में अभी आठवें एवं अंतिम चरण का मतदान 29 अप्रैल को होना है, जबकि बाकी शेष चार प्रदेशों में मतदान संपन्न हो चुका है।

चुनाव आयोग की ओर से सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुय निर्वाचन अधिकारियों को जारी आदेश में कहा गया है, कि पूरे देश में कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी के मद्देनजर आयोग ने फैसला किया है कि मतगणना के दौरान अधिक सेत प्रावधानों पर अमल किया जाए। दो मई को मतगणना के बाद किसी भी विजय जुलूस को निकालने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आयोग ने कहा कि जीत का प्रमाणपत्र हासिल करने के लिए विजेता उमीदवार या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति के साथ-साथ दो से अधिक लोगों के पहुंचने की अनुमति नहीं होगी। विजय जुलूस निकालने पर प्रतिबंध का यह आदेश आने से एक दिन पहले मद्रास उच्च न्यायालय ने चुनावों के दौरान कोविड संबंधी दिशानिर्देशों का पालन कराने में विफल रहने को लेकर चुनाव आयोग के खिलाफ सेत रुख दिखाया था। अदालत ने कहा था कि देश में कोरोना की दूसरी लहर आने के लिए चुनाव आयोग एकमात्र जिमेदार संस्था है। उच्च न्यायालय ने आयोग को सबसे गैरजिमेदार संस्था करार देते हुए कहा था कि इस अधिकारियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा चलाया जा सकता है।

### 31 मई तक किराया नहीं बढ़ा सकेंगी विमानन कंपनियां, उड्डयन मंत्रालय का आदेश

**नई दिल्ली (आरएनएस)।** भारत में हवाई यात्रा को लेकर लोगों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। दरअसल देश की विमानन कंपनियां अब 31 मई तक किराया नहीं बढ़ा पाएंगी। विमानन मंत्रालय ने कहा कि घरेलू उड़ानों पर किराया कैप 31 मई तक जारी रहेगा। ध्यान दें कि कोरोना वायरस के प्रकोप के मद्देनजर, विमानन मंत्रालय ने यात्रियों को भारी कीमत से बचाने के लिए घरेलू विमान सेवा पर कैप लागू किया था। इसके अलावा मंत्रालय ने 26 अप्रैल को जारी एक बयान में यह भी कहा कि एयरलाइन की क्षमता 80 प्रतिशत पर कैप अगले महीने के अंत तक भी बरकरार रखी जाएगी। यह आदेश तब आया जब विमानन कंपनियों ने सरकार से 60 प्रतिशत तक क्षमता कम करने की अपील की थी क्योंकि कोविड-19 के प्रकोप के कारण बुकिंग में कमी आ गई। विमानन प्राधिकरण के बयान में कहा गया है कि यह नया कदम देश में कोविड-19 की मौजूदा स्थिति को देखते हुए उठाया गया है। इससे पहले विमानन नियामक ने ग्रीष्मकालीन शेड्यूल के लिए 108 हवाई अड्डों से प्रति सप्ताह 18,843 उड़ानों को मंजूरी दी थी, जो मार्च के आखिरी रविवार से शुरू हुई और अक्तूबर के आखिरी रविवार को समाप्त होगी। उल्लेखनीय है कि इससे पहले विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने फरवरी में कहा था कि न्यूनतम और अधिकतम किराया एक असाधारण कदम था, जो असाधारण परिस्थिति में उठाया गया था।

## आयुष मंत्रालय ने महामारी के दौरान होम आइसोलेशन, स्वयं देखभाल के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी किए

**नईदिल्ली (आरएनएस)।** कोरोना महामारी की दूसरी लहर के पैदा होने के बाद नए दिशानिर्देशों की जरूरत पर प्रतिक्रिया देते हुए आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सकों के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं। यह दिशानिर्देश कोविड-19 महामारी के दौरान खुद से देखभाल को लेकर होम आइसोलेशन वाले कोविड-19 मरीजों और आयुर्वेद एवं यूनानी निवारक उपायों के लिए हैं। यह मुय रूप से कोविड-19 के खुद से देखभाल और घरेलू प्रबंधन पर केंद्रित है। देश में कोविड प्रभावित परिवारों के विशाल बहुमत को अस्पतालों से बाहर इस महामारी से निपटने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।

होम आइसोलेशन वाले कोविड-19 मरीजों और खुद से देखभाल के लिए निवारक उपायों को लेकर जारी ये दिशानिर्देश शास्त्रीय आयुर्वेद एवं यूनावी ग्रंथों, अनुसंधान अध्ययन के परिणामों, रिपोर्टों एवं अंतर्विषयक समिति की सिफारिशों पर आधारित हैं। यह उभरती हुई स्थितियों में कोविड-19 से निपटने में हमारी लड़ाई को और मजबूत करेगा।

ये दिशानिर्देश और सलाह आयुष मंत्रालय द्वारा गठित अंतर्विषयक आयुष अनुसंधान एवं विकास कार्य बल के तहत सशक्त समिति द्वारा व्यापक परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से विकसित किए गए। इस मंत्रालय के कोविड-19 अध्ययन के लिए परियोजना निगरानी इकाई, केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद् (सीसीआरएएस), केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद् (सीसीआरयूएम), अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (एआईआईए) और राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (एनएमपीबी) ने सलाह और दिशानिर्देशों को तैयार करने का काम किया।

मौजूदा दिशानिर्देश और खुद से देखभाल के उपाय संक्रमण की विभिन्न स्थितियों में कोविड-19 मरीजों के उपचार के बारे में आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सकों को स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। यह देशभर में महामारी के लिए आयुष आधारित प्रतिक्रियाओं में एकरूपता और निरंतरता लाता है। यह राज्यों/केंद्रशासित प्रदेश की सरकारों को योजना बनाने और इन समाधानों को कोविड-19 प्रबंधन गतिविधियों में शामिल करने में मदद करता है, जिन्हें जमीन पर उतारा जा रहा है। इसके अलावा, ये उपाय और दिशानिर्देश कोविड-19 के प्रबंधन के लिए आयुष समाधानों की मेयधारा में भी योगदान करते हैं। इन समाधानों तक आसानी से पहुंच होने के चलते यह जनता के लिए काफी लाभकारी होगा और यह महामारी की वजह से उत्पन्न कठिनाइयों को कम करने में सहायता करेंगे।

## कोरोना महामारी राष्ट्रीय आपदा, मूकदर्शक नहीं रह सकते: सुको

ऑक्सीजन संकट पर राज्य सरकारों से कोरोना प्रबंधन पर तलब की रिपोर्ट

**नई दिल्ली (आरएनएस।** देश में कोरोना काल में ऑक्सीजन के गहराते संकट, बेड की कमी, वैक्सीन की किल्लत को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों स्वतः संज्ञान लिया था। इस मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये राष्ट्रीय आपदा है। इसमें मूकदर्शक बने नहीं रह सकते हैं। इसके लिए हमें रणनीति बनानी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा कि केंद्र ने इस पर क्या कदम उठाए हैं और क्या योजना बनाई है। इसके बारे में हमें विस्तार से जानकारी दीजिए। पिछले हेते शीर्ष अदालत ने कोरोना महामारी के हालात को 'राष्ट्रीय आपातकाल'

करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से ऑक्सीजन और आवश्यक दवाओं की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय योजना पेश करने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों से गुरुवार तक स्वास्थ्य ढांचों पर विस्तृत रिपोर्ट पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी। कोर्ट ने कोरोना प्रबंधन से जुड़े मामलों पर स्वतः संज्ञान लेते हुए कहा था कि कोरोना पर केंद्र और राज्यों के बीच चल रही तैयारियों को लेकर छह हाईकोर्ट के फैसले से भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। दिल्ली, बॉबे, सिक्किम, मध्य प्रदेश, कलकत्ता और इलाहाबाद हाईकोर्ट में पहले से ही राज्य और केंद्र की तैयारियों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर सुनवाई जारी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने लॉकडाउन लगाने का अधिकार राज्यों के पास होने को कहा था।

**सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में क्या-क्या कहा** - केंद्र सरकार ने हलफनामा दायर कर सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि ऑक्सीजन की आपूर्ति के मसले को सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देख रहे हैं। केंद्र सरकार अन्य राज्यों के साथ मिलकर युद्धस्तर पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री के अलावा गृह मंत्री भी पूरे मामले पर निगरानी रखे हुए हैं। ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए देश में उपलब्ध तमाम संसाधनों को जुटाने की कोशिश की जा रही है। विदेशों से भी संसाधन आयात किए जा रहे हैं। औद्योगिक गैस उत्पादन करने वाली कंपनियों को चिकित्सा ऑक्सीजन उत्पादन के लिए लाइसेंस जारी किए जा रहे हैं।

**चार बिंदुओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई-** न्यायाधीश (सीजेआई) एसए बोबडे, जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस एस रवींद्र भट की पीठ कोरोना से जुड़े प्रबंधन मामलों की सुनवाई कर रही है। सीजेआई) एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली बेंच ने चार बिंदुओं पर सरकार से जवाब मांगा था। जिसमें -ऑक्सीजन की आपूर्ति -आवश्यक दवाओं की आपूर्ति -टीकाकरण की विधि और तरीका और लॉकडाउन घोषित करने की राज्य की शक्ति शामिल है।

## तीन राज्यों को 6 ऑक्सीजन एक्सप्रेस से लगभग 4 सौ पचास मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति

**नईदिल्ली (आरएनएस)।** भारतीय रेल देश के विभिन्न हिस्सों में तरल मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति को निरंतर जारी रखे हुए है। अभी तक 10,000 किलोमीटर (खाली और भरी स्थितियों में) से ज्यादा दूरी कवर करके 26 टैंकरों के माध्यम से 6 ऑक्सीजन एक्सप्रेस में महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और दिल्ली को 450 मीट्रिक टन की आपूर्ति की जा चुकी है।

वर्तमान में, एक अन्य ऑक्सीजन एक्सप्रेस जबलपुर के रास्ते बोकारो से भोपाल के लिए चल रही है। यह ट्रेन 6 टैंकरों में 64 मीट्रिक टन तरल मेडिकल ऑक्सीजन लेकर आ रही है, जिससे भोपाल और जबलपुर शहरों के माध्यम से मध्य प्रदेश की ऑक्सीजन की मांग पूरी होगी।

लखनऊ से एक अन्य खाली रैक

बोकारो पहुंच गई है, जो उत्तर प्रदेश को ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए ऑक्सीजन टैंकरों का एक अन्य सेट लेकर आएगी।

दिल्ली में आज सुबह उसकी पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस 70 मीट्रिक टन से ज्यादा तरल मेडिकल ऑक्सीजन लेकर पहुंची।

अभी तक, अनंतिम अनुमान के मुताबिक, भारत रेल ने उत्तर प्रदेश को 202 मीट्रिक टन, महाराष्ट्र को 174 टन और दिल्ली को 70 मीट्रिक टन की आपूर्ति की है। मध्य प्रदेश को अगले 24 घंटों में 64 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिल जाएगी।

## सामाजिक दूरी का पालन, सैकड़ो लोगों का करता है बचाव: केंद्र

**नई दिल्ली (आरएनएस)।** केंद्र सरकार ने कोराना वायरस के खिलाफ जंग जीतने के लिए कोरोना महामारी के दिशानिर्देशों का पालन करने पर जोर दिया है। इसमें सरकार का कहना है कि यदि एक कोरोना संक्रमित मरीज मास्क नहीं पहनता और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं करता है तो वह 30 दिन में 406 लोगों को संक्रमित कर सकता है। केंद्र सरकार की ओर से विशेषज्ञों का हवाला करते हुए कहया कि जब तक आपको भरोसा न हो कि परिवार में कोई कोरोना संक्रमित नहीं है तो घर में भी मास्क लगाना चाहिए। केंद्र सरकार का कहना है कि कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए अब भी मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी उपाय हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के जॉइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल ने कहा कि कई यूनिवर्सिटीज की रिसर्च में यह बात सामने आई है कि सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन न किया जाए तो एक शेस 406 लोगों को संक्रमित कर सकता है। इसके अलावा यदि कोरोना मरीज और गैर-संक्रमित लोग मास्क पहनते हैं तो संक्रमण के प्रसार के चांस 1.5 फीसदी ही होंगे। अग्रवाल ने कहा कि यदि संक्रमित व्यक्ति अपना एक्सपोजर 50 पर्सेंट तक कम कर करता है तो वह एक महीने में 406 की बजाय 15 लोगों को ही संक्रमित कर सकेगा। इसके अलावा यदि एक्सपोजर में 75 पर्सेंट तक की कमी आती है तो संक्रमित व्यक्ति 30 दिनों में 2.5 लोगों को ही प्रभावित करेगा।

## भारत के जैविक खाद्य उत्पादों के निर्यात में मूल्य की दृष्टि से 50 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी

**नईदिल्ली (आरएनएस)।** वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान भारत के जैविक खाद्य उत्पादों का निर्यात मूल्य (मिलियन अमेरिकी डॉलर) के लिहाज से 51 प्रतिशत बढ़कर 1,040 मिलियन अमेरिकी डॉलर (7,078 करोड़ रुपये) हो गया। यह बढ़ोतरी पिछले वित्त वर्ष (2019-20) की तुलना में रही है।

मात्रा के मामले में, वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान जैविक खाद्य उत्पादों का निर्यात 39 प्रतिशत बढ़कर 8,88,179 मीट्रिक टन (एमटी) हो गया, जबकि 2019-20 में 6,38,998 एमटी का निर्यात हुआ था। जैविक उत्पादों में यह बढ़ोतरी कोविड-19 महामारी से पैदा ढुलाई और परिचालन चुनौतियों के बावजूद हासिल हुई है।

देश से होने वाले जैविक उत्पादों के निर्यात में ऑयल केक मील एक प्रमुख कमोडिटी रही है, उसके बाद तिलहन, फलों का गूदा और प्यूरी, अनाज और बाजरा, मसाले और चटनी, चाय, औषधीय उत्पाद, सूखे फल, चीनी, दाल, कॉफी, आवश्यक तेल आदि का नंबर आता है।

भारत के जैविक उत्पाद यूएसए, यूरोपीय संघ, कनाडा, ग्रेट ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, इजरायल, दक्षिण कोरिया सहित 58 देशों को निर्यात किए गए हैं।

एपिडा के चेयरमैन डॉ. एम अंगामुथु ने कहा कि विदेशी बाजारों में भारतीय जैविक उत्पादों, पौष्टिक औषधीय पदार्थों और स्वास्थ्यवर्धक खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ रही है।

वर्तमान में भारत से जैविक उत्पादों का निर्यात उसी स्थिति में किया जाता है, यदि उनका राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी) की आवश्यकताओं के अनुरूप उत्पादन, प्रसंस्करण, पैकिंग और लेबिलिंग की जाती है। एपिडा ने विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 के अंतर्गत अधिसूचित होने के साथ ही एपिडा ने 2001 में एनपीओपी को लागू कर दिया था।

एनपीओपी प्रमाणन को यूरोपीय संघ और स्विट्जरलैंड द्वारा मान्यता प्राप्त है, जो भारत को बिना किसी अतिरिक्त प्रमाण पत्र के इन देशों को गैर प्रसंस्कृत उत्पादों के निर्यात में सक्षम बनाते हैं। इसी प्रकार ईयू भारतीय जैविक उत्पादों को ब्रेग्जिट के बाद के चरण में यूनाइटेड किंगडम को निर्यात करने की भी सुविधा देता है।प्रमुख आयातक देशों के बीच व्यापार आसान बनाने के क्रम में, भारत से जैविक उत्पादों के निर्यात के उद्देश्य से परस्पर मान्यता समझौते के लिए ताईवान, कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, न्यूजीलैंड से बातचीत चल रही है।